



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 43132 वर्ष 2025

सुनील उर्फ फौजी

.....आवेदक(गण)

बनाम

प्रधान सचिव उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	अजेंद्र कुमार
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. निषाद तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वर्तमान जमानत अर्जी आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे, पुलिस थाना सिधपुरा, जिला कासगंज में पंजीकृत, मुकदमा अपराध संख्या 204/2018, धारा 2/3 'उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986' के अंतर्गत, विचारण की लंबित अवधि के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास के संबंध में, जमानत अर्जी के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र में स्पष्टीकरण दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि गैंग-चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में आवेदक को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना अथवा आयोजक नहीं है, और न ही उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में सूचीबद्ध किसी गिरोह की गतिविधियों में कोई दुष्प्रेरण अथवा सहायता की है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 15.12.2024 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित मामलों के मद्देनजर मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एससीसी 648 मामले में दिए गए एक फैसले पर भरोसा जताया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित होना, अपने आप में, जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए.. आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके, और न ही वे आवेदक के खिलाफ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए 'गैंग-चार्ट' में दिखाए गए मामले के अलावा कोई अन्य मामला इंगित कर सके।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से सामने आए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

आवेदक, सुनील @ फौजी को, ऊपर बताए गए मामले (अपराध संख्या) में, संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iii) आवेदक, विचारण न्यायालय के सामने, निम्नलिखित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय होना, और (iii) बयान दर्ज होना।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह सबूत पेश करने के लिए तय की गई तारीखों पर, जब गवाह ट्रायल कोर्ट में मौजूद हों, किसी भी तरह की सुनवाई स्थगित करने की मांग नहीं करेगा।
- (v) आवेदक, विचारण न्यायालय के सामने, तय की गई हर तारीख पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, उसे ज़मानत रद्द करने का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत याचिका का निर्णय करने के उद्देश्य तक ही सीमित है, और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

16 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव